82. 29 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्डों का व्यावसायीकरण– उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 216वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की 221वीं रिपोर्ट में उपरोक्त विषयांतर्गत आगे अनुशंसाएं की गई है, जो निम्नप्रकार पुनः प्रस्तुत हैः

"समिति ने इस तथ्य को अपने संज्ञान में लिया है कि सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्डों में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कुछ मापदंडों को निर्धारित किया है। लेकिन समिति जो चाहती है उसे पुनः दुहराना चाहती है कि यदि उपरोक्त उल्लिखित मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला श्रेणी से व्यक्ति आगे आते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। तदोपरान्त, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्डों में समिति इन श्रेणियों से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर पुनः जोर देना चाहती है।"

3. उपरोक्त अनुशंसाओं पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अवगत कराया जाए, चूंकि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्डों में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है।

4. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की उपरोक्त अनुशंसाओं का इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संज्ञान लें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(18)/2011–जीएम, दिनांक, 18 अप्रैल, 2011)

*****